



एक कदम स्वच्छता की ओर

सेवानिवृत्ति योजना और कर – बचत

सामान्य शब्दों में, सेवानिवृत्ति योजना से तात्पर्य आज की बचत से है ताकि भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सके।

सेवानिवृत्ति योजना निर्माण का मुख्य लाभ यह भी है कि भविष्य के लिए बचत के दौरान, वर्तमान में आपको कर लाभ का फायदा भी प्राप्त होता है।

एनपीएस के अंतर्गत कर लाभ का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत वेतनभोगी और स्व-रोजगार दोनों ही कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत कर में कटौती के लिए एनपीएस एक पात्र साधन (ईस्ट्रुमेंट) है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एनपीएस-लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी(1) के तहत 10 प्रतिशत वेतन (मूल एवं मंहगाई भत्ता) तक का अंशदान कर छूट के योग्य है जो कि धारा 80 सीसीई* में 1.50 लाख रुपये की उपरी सीमा के अंतर्गत आता है।

सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपका नियोक्ता भी आपके पेंशन खाते में अंशदान कर रहा हो तो 10 प्रतिशत वेतन (मूल एवं मंहगाई भत्ता) तक अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2)* के तहत कर छूट योग्य है। यह धारा 80 सीसीई* के तहत आने वाली 1.50 लाख रुपये की कर छूट के अतिरिक्त है।

कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए विवरण		
(राशि रुपये लाख में)	केवल कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में अंशदान	कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा एनपीएस में अंशदान
वेतन (मूल एवं मंहगाई भत्ता)	15.00	15.00
भत्ते	3.00	1.50
एनपीएस सह-अंशदान (वेतन का 10 प्रतिशत)	शून्य	1.50
कुल वेतन	18.00	18.00
यदि एनपीएस में अभिदाता का अंशदान वेतन का 10 प्रतिशत हो अनुच्छेद 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत कुल कटौती	1.00	1.00
नियोक्ता के अंशदान पर अनुच्छेद 80 सीसीडी (2) के अंतर्गत कुल कटौती	शून्य	1.50
कर योग्य वेतन	17.00	15.50
एनपीएस के कर (अधिभार सहित)	3.45	2.99
एनपीएस के अतिरिक्त कुल देय कर (अधिभार सहित)	3.76	3.76
एनपीएस में निवेश करने पर कर बचत	0.31	0.77

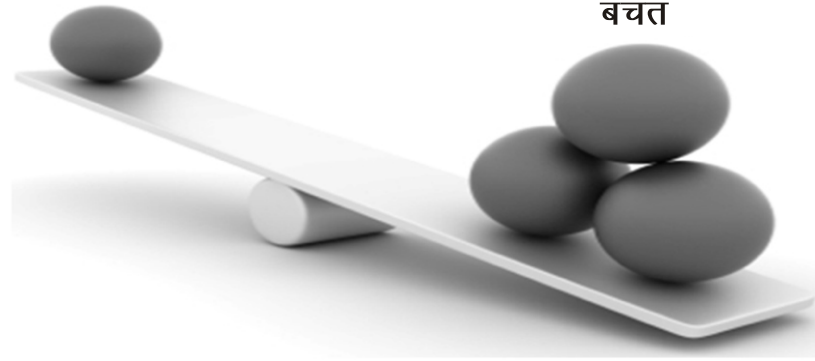
*Sections referred are from Income Tax Act, 1961, as amended from time-to-time.

**Tax Slabs for AY 2015-16



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority
A Public awareness initiative on old-age income security

सेवानिवृत्ति के लिए बचत



कर
बचत

आपके नज़रिये में कौन ज्यादा प्रभावशाली है?

संतुलित दृष्टिकोण अपनायें

चुनें



एनपीएस के बारे में और अधिक जानकारी और अपने निकटम पीओपी-एसपी की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नं.

1800 110 708

अथवा

SMS

NPS to 56677*

*मानक शुल्क लागू

अथवा

हमारी वेबसाइट देखें

www.pfrda.org.in

कॉरपोरेट एवं कर्मचारियों के लिए एनपीएस कर-लाभ

यदि आप एक स्वामित्व संस्थान, एक साझेदारी संस्था, एक लघु मध्यम उपक्रम, एक निजी/सार्वजनिक लि. कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के रूप में कार्यरत हैं तो आप कॉरपोरेट कहलाएंगे।

एक कॉरपोरेट के रूप में यदि आप अपने कर्मचारियों का अंशदान (वेतन का 10 प्रतिशत) एनपीएस में जमा कर रहे हैं तो आप अधिनियम की धारा 36 (1) 4 (क) के अंतर्गत व्यवसायिक खर्च के रूप में कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

व्यक्तिगत स्व रोजगारों के लिए कर-लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी(1)* के तहत 10 प्रतिशत वेतन (मूल एवं मंहगाई भत्ता) तक का अंशदान कर छूट के योग्य है जो कि धारा 80 सीसीई में 1.50 लाख रुपये की उपरी सीमा के अंतर्गत आता है।

एनपीएस क्या है?

एक ऐसी कुशल एवं प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली जो आज छोटी-छोटी राशि की बचत कराकर, जीवन की दूसरी पारी के लिए एक कोष का निर्माण करती है।

एनपीएस ही क्यों?

- कम लागत उत्पाद
- व्यक्तियों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कर लाभ
- बाजार आधारित आकर्षक प्रतिलाभ
- सुरक्षित, भरोसेमंद और संवहनीय
- अनुभवी पेंशन निधियों द्वारा व्यवसायिक प्रबंधन
- संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक विनियामक प्राधिकरण – पीएफआरडीए द्वारा विनियमन

इसमें कौन-कौन शामिल हो सकते हैं?

यदि आप निम्न में से कोई एक या सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं :-

- भारत के नागरिक; निवासी या अनिवासी
- शामिल होने के समय आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- वेतनभोगी या स्व-रोजगार।

मैं एनपीएस खाता कहाँ खोल सकता हूँ?

पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) के पास।